राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत)

विवरणिका

पीएचडी कार्यक्रम, 2025-26

Accredited With Grade A NAAC

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110 016, भारत

ईपीएबीएक्सः 91–11–2654 4800, 2654 4820

ई–मेलः niepa@niepa.ac.in

वेबसाइटः www.niepa.ac.in

परिकल्पना

ज्ञानात्मक उन्नति के माध्यम से अधिगमोन्मुख मानव समाज विकसित करना

लक्ष्य

राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उच्चकोटि के शिक्षण, शोध और
क्षमता निर्माण द्वारा शैक्षणिक नीति, योजना और प्रबंधन के
क्षेत्र में उत्कृष्टता का केन्द्र बनना

कुलपति का संदेश

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और शोध कार्य कराने वाला एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा ग्रेड 'ए' से प्रत्यायित किया गया है।

इस राष्ट्रीय संस्थान में आठ अकादमिक विभाग और दो केन्द्र हैं। संस्थान में उत्कृष्ट बहु-अनुशासनिक संकाय होने के साथ-साथ एक पुस्तकालय है जिसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तकें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्र-पत्रिकाएं और शासकीय दस्तावेजों की बहुलता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) में शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन में व्यापक बहु-विषयक परिप्रेक्ष्य से पूर्णकालिक पीएच.डी. और अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। नीपा के शोध कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य से, सभी स्तरों और प्रारूपों की शिक्षा सम्मिलित है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का भारत के भीतर और भारत के बाहर स्थित सुप्रसिद्ध एवं अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक संबंध है। इन संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (आईआईईपी, पेरिस), यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां तथा देश-विदेश स्थित विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को विश्व के विविध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं से आने वाले विद्वतजनों और अध्येताओं के साथ वैचारिक आदान-प्रदान का सुअवसर प्राप्त होता है।

आशा है कि भविष्य में ऐसे युवा और मेधावी अध्येता इस संस्थान में आऐंगे जो पीएच.डी. स्तर पर शोध के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और उत्कृष्टता के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्ध होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में आपके विचार और विद्वता को आगे बढ़ाने के लिए पसंदीदा संस्थानों में अग्रणी रहेगा।

(प्रो. शशिकला जी. वंजारी)

मार्च, 2025

विषय सूची

1.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का परिचयात्मक विवरण	3
2.	पीएच.डी. कार्यक्रम 2025-26	5
3.	सीटें एवं अर्हता	7
4.	चयन और प्रवेश	9
5.	कार्यक्रम की अवधि	11
6.	शुल्क और छात्रवृत्ति	14
7.	कार्यक्रम की संरचना	15
8.	मूल्यांकन	17
9.	पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन	18
10.	कार्यक्रम का विवरण	19
11.	संकाय और अकादमिक स्टाफ	20
12.	प्रशासनिक कर्मी और सहायक सेवाएं	23
13.	अनुलग्नक-1: अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र	25

1. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का परिचयात्मक विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) का उद्गम वर्ष 1962 में उस कालखण्ड में हुआ था जब यूनेस्को ने शैक्षणिक योजना निर्माताओं और प्रशासकों के निमित्त एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की थी, जो वर्ष 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एआईईपीए) बन गया। तत्पश्चात् क्षमता निर्माण कार्य, शोध तथा राज्य सरकारों को वृत्तिक सहयोग एवं सेवा प्रदान करने में इसकी भूमिका और कार्य बढ़ने के कारण यह संस्थान वर्ष 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इस संगठन द्वारा किए गए अग्रणी कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगस्त, 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, जिसके अंतर्गत संस्थान को डिग्री प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदान की गईं और पुनः नाम परिवर्तन के बाद इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कहा जाने लगा। नीपा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है।

नीपा भारत की शिक्षा और विकास नीति, उसकी योजना और क्रियान्वयन पर भविष्योन्मुखी चिंतन का एक केंद्र है। इसके अलावा यह भारत और विदेशों में शैक्षिक निकायों को प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय संस्थान में शोध, अध्यापन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के अनुपम सम्मिश्रण के कारण, ज्ञान के लिए यह शोधकर्ताओं का पसंदीदा गंतव्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का संस्थानिक वातावरण शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों से परिपूर्ण है। जिसके कारण पूरे विश्व से विद्वतजन और अध्यवसायी इस संस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे अधिकांश शोध अध्येता विमर्श में भाग लेते हैं और व्यावहारिक नीतिगत एजेंडे संबंधी अपने शैक्षणिक कार्य को जारी रखने के लिए चिंतन भी करते हैं। यहाँ का शैक्षणिक माहौल विभिन्न अकादमिक और सह-पाठ्यचर्या कार्यकलापों से पूर्ण है। इसमें सुविख्यात शिक्षाविद् और बुद्धिजीवियों द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यानों के साथ सांस्कृतिक एवं खेलकूद की गतिविधियाँ भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान में सुयोग्य, बहुविज्ञ एवं अन्तःअनुशासनिक शिक्षक संकाय हैं जिनके पास बहुत सी विधाओं की विशेषज्ञता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) वस्तुतः बहु-विधात्मक शैक्षणिक संस्था बन गई है, जहाँ सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विधाओं और संबद्ध विधाओं में प्रवीणता उपलब्ध है। यहां के संकायों के पास राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अकादमिक और व्यावसायिक स्तर पर गहन अनुभव और शिक्षा के विविध विषयों और उप-क्षेत्रों से संबंधित उच्च स्तरीय प्रकाशनों से प्रकाशन उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रकाशन संस्थान के शोध अध्येताओं के प्रकाशन सुविख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा यहां के संकायों की देख-रेख में अंग्रेजी में 'जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन' (जेपा) और हिन्दी जर्नल 'परिप्रेक्ष्य' पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

अकादमिक सहायता सेवा एकक

पुस्तकालय, प्रलेखन केन्द्र और डिजिटल अभिलेखागार

नीपा में अत्याधुनिक पुस्तकालय है जिससे शैक्षणिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में बहु-विषयक रूचि रखने वाले अध्येताओं की आवश्यकता की पूर्ति होती है। पुस्तकालय संकाय, शोधकर्त्ताओं, प्रशासकों, नीति-निर्माताओं और अपने अकादमिक कार्यों में लगे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करता है। यहाँ नियमित रूप से लगभग 240 भारतीय और विदेशी पत्र-पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन है। यह पुस्तकालय पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है और यहाँ इन्टरनेट, एरिक और डेलनेट आधारित आभासी पुस्तकालय के माध्यम से भी सेवा प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है जैसेः सीएएस, एसडीआई, संदर्भ सेवा, वेब ओपेक, सर्कुलेशन, जेरॉक्सिंग आदि। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग (DELNET) का सदस्य रहा है। पुस्तकालय में वर्तमान में 60,000 से अधिक पुस्तकों/ दस्तावेजों और 7,616 पत्रिकाओं का संग्रह है, इसके अलावा यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक, ओईसीडी आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों की रिपोर्टों का एक समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए जेस्टोर, एलसवियर और सेज जैसे तीन ऑनलाइन जर्नल डेटाबेस की भी सदस्यता ली है।

भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं, क्षेत्रों और स्तरों पर संदर्भ और अनुसंधान के स्रोत के रूप में सभी दस्तावेजों की एक ही स्थान पर सॉफ्ट पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान में एक डिजिटल अभिलेखागार स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संस्थान के विस्तारित चरण के रूप में उपयोगकर्ताओं का एक समुदाय बनाना है। कई खोज विकल्पों के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर, डिजिटल अभिलेखागार हमारी एक अंतर्निहित विशेषता है।

कंप्यूटर केंद्र

कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को समर्थन देता है। यह राष्ट्रीय संस्थान के सभी प्रशिक्षुओं और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटिंग सुविधाएं और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान में उचित नेटवर्क सुरक्षा बनाए रखी जा रही है। यह केंद्र अत्याधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाओं से सुसज्जित है जिसमें तेज इथरनेट से जुड़ा आईबीएम ई-सीरीज सर्वर शामिल है।

कंप्यूटर केंद्र

प्रकाशन एकक

राष्ट्रीय संस्थान के पास शिक्षा में अनुसंधान और विकास पर जानकारी के प्रसार के लिए एक प्रकाशन कार्यक्रम है। नीपा प्रकाशन विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री, अन्य संबंधित सामग्री की रिपोर्ट, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध पत्रों और अन्य प्रकाशनों को प्रकाशित करके शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रशासन के क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान और जानकारी का प्रसार करने की संस्थानिक प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं में जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेपा), परिप्रेक्ष्य - हिंदी भाषा की एक पत्रिका और एंट्रीप न्यूजलेटर शामिल हैं।

नीपा प्रकाशन

हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर हिंदी में व्यावसायिक साहित्य के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार के लिए अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष राजभाषा नीति को लागू करने में भी मदद करता है।

2. पीएच.डी. कार्यक्रम 2025-26

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान में बहु-विधात्मक सामाजिक विज्ञान के सार्वभौमिक दृष्टिकोण से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के अध्येताओं की शोध क्षमता का निर्माण करना तथा शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का आधार प्रदान करना है। पीएच.डी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्ण किए गए शोधपरक अध्ययनों से यह आशा की जाती है कि इनसे नीति निर्माण, सुधारात्मक कार्यक्रमों तथा अन्य क्षमता निर्माण जैसे क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के अलावा ज्ञान के आधार को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। विद्यालय और/अथवा उच्चतर शिक्षा के समेकित मुख्य शोध क्षेत्र निम्नवत हैं:

- शैक्षिक नीति
- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त

नीपा विद्वत संवाद कार्यक्रम

अकादमिक संगठन

विभाग

- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त
- शैक्षिक नीति
- विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा
- उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
- शिक्षा में प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास

केन्द्र

- राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
- उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र

समर्थन प्रणाली

- पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र
- कंप्यूटर केन्द्र
- प्रकाशन एकक
- डिजीटल अभिलेखागार
- प्रशिक्षण कक्ष तथा हिंदी कक्ष

एकक

- परियोजना प्रबंधन एकक
- अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एकक

शोध के मुख्य क्षेत्र

1. शैक्षिक नीति और कार्यान्वयन
2. शिक्षा के क्षेत्र में शासन और प्रबंधन
3. शिक्षा में बहु-विषयक परिप्रेक्ष्य
4. अध्यापक प्रबंध के विषय और वृत्तिक विकास
5. विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में नेतृत्व
6. शिक्षा के क्षेत्र में समता, विविधता और समावेशी विषय
7. शिक्षा का वित्त पोषण
8. शिक्षा में नीतिगत विषय
9. प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा

3. सीटें एवं अर्हता

3.1 वर्ष 2025-26 में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम 25 अध्येताओं का चयन किया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनिवार्य उपबंधों (प्रावधानों) का अनुपालन किया जायेगा।

3.2 पीएच.डी. (पूर्ण-कालिक) और पीएच.डी. (अंश-कालिक) कार्यक्रम

3.2.1 शैक्षणिक पात्रता मानदंडः

(क) निम्नलिखित सामाजिक विज्ञानों और संबद्ध विषयों में से किसी एक में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, वहां प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेडः-

समाजशास्त्र / सामाजिक नृविज्ञान / सामाजिक मनोविज्ञान / मनोविज्ञान / राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन / इतिहास / अर्थशास्त्र / सामाजिक भूगोल / शिक्षा / सामाजिक कार्य / जेंडर अध्ययन / पर्यावरण अध्ययन / सांस्कृतिक अध्ययन / शिक्षा एवं विकास / सांख्यिकी / दर्शनशास्त्र / बाल विकास / मानव विकास / ग्रामीण विकास

या

अभ्यर्थी द्वारा देश में विधि के तहत स्थापित किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किसी विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता या उस संस्था द्वारा प्रत्यायित जिसे उस देश में शैक्षणिक संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन या आश्वासन के जरिए विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो।

समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यु.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

4 वर्षीय/8 सेमेस्टर स्नातक डिग्री कार्यक्रम के बाद प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता हो, प्वाइंट स्केल पर समान ग्रेड होना चाहिए।

(ख) अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.फिल. कार्यक्रम पूरा किया है, या जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम लागू है, खंड 3.2.1 (क) में परिभाषित किसी भी सामाजिक विज्ञान और संबंध विधाओं में 55 प्रतिशत अंक के समतुल्य प्वाइंट या अपने स्वयं के देश में विधिगत प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमोदित या अधिकृत मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्था से समतुल्य योग्यता प्राप्त की हो, जो उस देश में शैक्षिण संस्था की गुणवत्ता और मानकों के मूल्यांकन, प्रत्यायन के द्वारा विधि के अधीन स्थापित या शामिल किया गया हो, से समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो, वे पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/दिव्यांग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (इ.डब्ल्यू.एस.) और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट दी जाएगी।

(ग) जिन अभ्यर्थियों ने अब तक अपनी स्नातकोत्तर डिग्री का अंतिम सेमेस्टर पूर्ण नहीं किया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने पिछले समेस्टरों में विहित अर्हता शर्तों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रवेश के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकें। यदि परीक्षा में विलंब होने के कारण कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो प्रस्तुति की तारीख से छह माह का समय विस्तार डीपीसी द्वारा दिया जाएगा और प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) वे अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण की है और जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपर्युक्त शैक्षिक अर्हताओं के साथ कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, आवेदन कर सकते हैं।

अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए मुख्य निर्देश

(ङ) अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम केवल उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है जो सरकारी क्षेत्र/स्वायत्त निकायों में नियमित रोजगार में हैं और जिनके पास न्यूनतम चार (04) वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण/अनुसंधान का अनुभव है।

(च) अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने संगठन जहाँ वे कार्य कर रहे हैं के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि-

i. अभ्यर्थी को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति दी जाती है।

ii. उस अभ्यर्थी के कार्यालयीन कर्तव्य में उसे शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति है।

iii. कोर्स-वर्क पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को ड्यूटी से विरमित (रिलीव) किया जाएगा।

नोटः

(i) सभी अंशकालिक और पूर्णकालिक अध्येताओं को एक वर्षीय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(ii) पूर्णकालिक अध्येताओं को पीएच.डी. की अवधि के दौरान कोई रोजगार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. चयन और प्रवेश

4.1 प्रवेश संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदंडों, यू.जी.सी. और संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तथा समय-समय पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा।

पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकन निम्नांकित विधियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगाः

i. नीपा प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा।

ii. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांग श्रेणी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए अभिनिश्चय के अनुसार प्रवेश परीक्षा में 5% अंक की छूट देने का प्रावधान है।

iii. नीपा उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित करेगा।

iv. अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु 70% भारांक और साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए 30% भारांक दिया जाएगा।

4.2 अभ्यर्थियों से पीएच.डी. पूर्णकालिक/अंशकालिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रारूप में आवेदन करना अपेक्षित है।

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा 800 रूपए, (अनु.जा./अनु.ज.जा./दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रू.) के आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की वेबसाइट पर विवरणिका उपलब्ध है।

नीपा की वेबसाइट (www.niepa.ac.in) पर ऑन-लाइन फॉर्म का लिंक उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की जांच सूची निम्नवत् हैः

- 10वीं कक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र ☐
- 12वीं कक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र ☐
- समेकित अंक पत्र और स्नातक की डिग्री ☐
- समेकित अंक पत्र और स्नातकोत्तर की डिग्री ☐
- अंक पत्र और एम.फिल. डिग्री, यदि लागू हो ☐
- जाति/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो ☐
- कार्यानुभव प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो ☐
- शोध-प्रस्ताव (एसओपी.) ☐
- यदि कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ☐

साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जमा किये गये शोध प्रस्ताव (एस.ओ.पी.) की तीन मुद्रित प्रतियाँ लानी होंगी।

पृष्ठ संख्या 7 पर दी गई रूपरेखा के अनुसार शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और वित्त के व्यापक क्षेत्रों के भीतर लगभग 500 शब्दों में अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र में से किसी एक पर उद्देश्य का विवरण (एसओपी) आवेदन के साथ देना होगा।

जो अभ्यर्थी रोजगार में हैं, उन्हें उस संगठन के सक्षम प्राधिकारी से जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' अपलोड करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं। एनओसी में यह लिखा होना चाहिए कि अभ्यर्थी को नीपा में कोर्स वर्क करने के लिए एक साल की छुट्टी दी जाएगी, सेमिनार में भाग लेने और अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय दिया जाएगा।

शोध प्रस्ताव (एसओपी)

शोध प्रस्ताव में शोध की मौलिक संरचना अभिव्यक्त होनी चाहिए। इसमें शोध शीर्षक, शोध विषय का विवेचन, शोध के प्रश्न और शोध पद्धति शामिल होनी चाहिए। इनमें मूल एवं संबंधित साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा का अनिवार्यतः उल्लेख होना चाहिए।

शोध प्रस्ताव की रूपरेखा

- शीर्षक
- शोध विचार/शोध पृष्ठभूमि
- शोध प्रश्न
- साहित्य की समीक्षा
- कार्य प्रणाली एवं अपेक्षित परिणाम
- संदर्भ ग्रंथ सूची

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

केवल चयनित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। (केवल ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं)। बोर्ड, अभ्यर्थी के अनुसंधान उन्मुखीकरण का आकलन करेगा।

प्रवेश परीक्षा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण के आधार पर की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम 50 प्रतिशत शोध पद्धति और 50 प्रतिशत शिक्षा के समकालीन मुद्दों से संबद्ध होगा।

5. कार्यक्रम की अवधि

i. पीएच.डी. कार्यक्रम न्यूनतम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए होगा। जिसमें कोर्स वर्क शामिल होगा और यह अवधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने की तारीख से अधिकतम छह (6) वर्ष तक की होगी।

ii. अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित नीपा अधिनियम/अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परंतु पीएच.डी. कार्यक्रम पूरी करने की कुल समयावधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

iii. महिला शोध अध्येताओं को पीएच.डी. कार्यक्रम की कुल अवधि में अधिकतम 240 दिन तक का प्रसूति अवकाश/बाल देखरेख अवकाश दिया जा सकता है।

iv. महिला शोध अध्येता और दिव्यांग व्यक्ति (40% से अधिक अक्षमता वाले) को दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है; तथापि, ऐसे मामलों में पीएच.डी. कार्यक्रम पूरी करने की कुल समयावधि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

शोध प्रबंध की उपाधि हेतु शोध अध्येताओं के लिए सामान्य अनुदेशः

(क) अध्येताओं के लिए कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान संस्थान में उपस्थित रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम जुलाई के तीसरे/चौथे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

(ख) अंशकालिक पीएच.डी. अध्येताओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे संस्थान के नियमों और विनियमों के तहत कार्यक्रम की अकादमिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोर्स वर्क में अपनी उपस्थिति के अलावा सेमिनार, विमर्श तथा विशिष्ट व्याख्यान में भाग लेने के लिए निरंतर कैम्पस में उपलब्ध रहें।

(ग) अध्येता को अपने शोध निर्देशक के परामर्श से अध्ययन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के अंत तक शोध सारांश तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। पूर्ण-कालिक अध्येताओं के पंजीकरण पुष्टि के लिए यह आवश्यक शर्त होगी। यदि संबंधित पुरुष/महिला शोधार्थी निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता/रहती है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

(घ) पंजीकरण की पुष्टि होने पर, पूर्ण-कालिक अध्येता अनुमोदित शोध-विषय पर कार्य करेगा। अभ्यर्थी को अपनी पीएच.डी. थीसिस प्रस्तुत करने में योग्य होने के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के पश्चात समय सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक का आवंटन पाठ्यक्रम कार्य के प्रथम सेमेस्टर के सफल समापन के बाद ही किया जाएगा।

(ङ) अध्येता अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से पीएच.डी. कार्यक्रम के पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के उपरांत (पूर्णकालिक शोधार्थी के लिए) और तीन वर्ष के उपरांत (अंशकालिक शोधार्थी के लिए) अपने पीएच.डी. शोध कार्य की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा/करेगी। इसके अलावा, अध्येता शोध के सार की तीन प्रतियाँ अधिकतम 2500 शब्दों में प्रस्तुत करेगा। पुरुष/महिला अध्येता को शोध पत्र प्रस्तुत करने से न्यूनतम तीन माह पूर्व शोध सलाहकार समिति में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने और इसके पक्ष में तर्क रखना होगा।

(च) पीएच.डी. कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के ''डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) कार्यक्रम 2025'' के विनियमों द्वारा शासित होगा।

(छ) नीपा के पीएच.डी. कार्यक्रम के अध्येताओं को डॉक्टरेट कार्यक्रम की अवधि के दौरान दिल्ली/एनसीआर में निवास की शर्त का पालन करना होगा। हालांकि, शोध कार्य/क्षेत्र कार्य के सिलसिले में उन्हें पर्यवेक्षक की पूर्व अनुमति से शहर से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ज) सभी अध्येता नीपा के नियमों और विनियमों के अधीन होंगे, जिसमें आचरण, कार्य स्थल, अनुशासन, उपस्थिति, छुट्टी और अन्य पहलू शामिल हैं।

(झ) सभी अध्येताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रैगिंग गतिविधियों में शामिल न हों। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी अध्येता को यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

रैगिंग रोधी	: यूजीसी हैल्पलाइन सं. 1800-180-5522 (24X7 टोल फ्री) या ई-मेलः helpline@antiragging.in संपर्क सं.ः 011-26544838 (नीपा)
आंतरिक शिकायत समिति	: संपर्क सं.ः 011-26544838
विद्यार्थी परामर्श केन्द्र	: संपर्क सं.ः 011-26544838
समान अवसर एकक	: संपर्क सं.ः 011-26544862
शिकायत निवारण समिति	: संपर्क सं.ः 011-26544865
छात्र अनुभाग (किसी भी सहायतार्थ)	: संपर्क सं.ः 011-26544823

6. शुल्क और छात्रवृत्ति

6.1 शुल्क की संरचना

क्र. सं.	शुल्क	राशि (रूपये)	टिप्पणी
1.	पंजीकरण शुल्क	5000.00	नामांकन के समय देय
	कार्यक्रम शुल्क	5000.00	
	पाठ्यक्रम मूल्यांकन शुल्क	1000.00	
	एलुमनी शुल्क	1000.00	
	चिकित्सा शुल्क	1000.00	
	पुस्तकालय	2000.00	
	कंप्यूटर केन्द्र	2000.00	
	कुल प्रवेश शुल्क	**17000.00**	
2.	वार्षिक कार्यक्रम शुल्क	2500.00 (i) देय तिथि के बाद विलम्ब शुल्क. @50/- प्रतिदिन अगले 15 दिनों के लिए (ii) 15 दिनों के बाद विलंब शुल्क @100/- प्रतिदिन (iii) यदि कोई शोधार्थी 30 दिनों के भीतर वार्षिक कार्यक्रम शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जाएगा। पुनः पंजीकरण शुल्क के रूप में 5000/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने के बाद पुनः पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी	पीएच.डी. शोधार्थियों द्वारा दूसरे वर्ष से प्रति वर्ष देय (अंशकालिक पीएच.डी. सहित)
3.	शोध प्रबंध प्रस्तुति (मूल्यांकन) शुल्क	4000.00	शोध प्रबंध जमा करने के समय देय
4.	शोध प्रबंध पुनः प्रस्तुति शुल्क	1000.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
5.	अनंतिम प्रमाण पत्र हेतु	1000.00	शोध प्रबंध शुल्क के साथ जमा करते समय देय
6.	उपाधि हेतु	1000.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
7.	उपाधि की नकल प्रति जारी करने हेतु	500.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय
8.	प्रतिलेख जारी करना (ग्रेड/अंक विवरण)	500.00	अनुरोध प्रपत्र के साथ देय

नोटः नीपा के निर्णय के अनुसार शुल्क की संरचना परिवर्तित की जा सकती है।

6.2 छात्रवृत्ति

पूर्ण कालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को नीपा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा (नेट) कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) सहित उत्तीर्ण की हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों और प्रक्रियाओं के अनुरूप राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से उतनी ही धनराशि की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि छात्रवृत्ति की निरंतरता संबंधित पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान की समुपयुक्त समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित अध्येताओं की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट के अधीन होगी।

पीएच.डी. कार्यक्रम के शोधार्थियों से राष्ट्रीय संस्थान के शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नीपा के शिक्षकों को अंशकालिक सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

7. कार्यक्रम की संरचना

7.1 पीएच.डी. कार्यक्रम (पूर्ण-कालिक और अंश-कालिक) दो भागों में संचालित की जाएगी।

सभी पूर्ण-कालिक एवं अंश-कालिक अध्येताओं के लिए एक वर्ष के पूर्ण-कालिक पाठ्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा।

भाग- एक	कोर्स वर्क
भाग- दो	पीएच.डी. शोध कार्य

नीपा पुस्तकालय

7.2 कोर्सवर्क

एक वर्ष की समयावधि के पाठ्यक्रम में दो सेमेस्टर हैं। प्रथम सेमेस्टर में दो-दो क्रेडिट के चार अनिवार्य पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, और दूसरे सेमेस्टर में दो-दो क्रेडिट के चार अनिवार्य पाठ्यक्रम (सीसी) होंगे। इसके अतिरिक्त, दो अनिवार्य गैर-क्रेडिट (सीएनसी) पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित होंगे। दोनों सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

प्रथम सेमेस्टर (8 क्रेडिट)	दूसरा सेमेस्टर (8 क्रेडिट)
सीसी-1 : शिक्षा परिप्रेक्ष्य और भारत में शिक्षा	सीसी-5 : शोध पद्धति-II
सीसी-2 : शोध पद्धति-I	सीसी-6 : शिक्षा का वित्तपोषण
सीसी-3 : शैक्षिक नीति	सीसी-7 : शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन
सीसी-4 : शैक्षिक योजना	सीसी-8 : शैक्षिक लेखन, शोध आचार और प्रकाशन
सीएनसी-I : शिक्षण/अनुसंधान सहायता (गैर-क्रेडिट) सीएनसी-II : सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन (गैर-क्रेडिट)	
कुल क्रेडिट = (16 क्रेडिट) मौखिक परीक्षा के लिए एक तिहाई भारांक दिया जाएगा	

7.3 शोध प्रबंध

पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अध्येताओं को किसी अनुमोदित विषय पर कार्य करना होगा और आवंटित शोध-निर्देशक के अधीन अपना शोधकार्य प्रस्तुत करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक अध्येता को शोध सलाहकार समिति (आरएसी) अनुदेशित की जाएगी जिसमें विभागीय और बाह्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। आरएसी शोध अभ्यर्थियों को नियमित मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के शिक्षण कार्यक्रमों में शोध पद्धति और आचार, संप्रत्यात्मक और विषय से संबंधित अंर्तदृष्टि प्रदान किया

दीक्षांत समारोह, 21 अक्टूबर 2022

जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रियाओं और अग्रेषण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। डॉक्टोरल थीसिस की अंतिम प्रस्तुति विभागीय और बाह्य परीक्षण के अधीन होगी। डिग्री सफलतापूर्वक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दी जाएगी। संतोषजनक मूल्यांकन के पश्चात सफल अध्येताओं को पीएच.डी. की डिग्री प्रदान की जाएगी।

8. मूल्यांकन

8.1 पाठ्यक्रमः अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम और शोध कार्य समापन के न्यूनतम मानक इत्यादि

i. पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए न्यूनतम 16 क्रेडिट अपेक्षित होगा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2019 के अ.शा. पत्र सं. एफ-1-1/2018 (पत्रिका/केयर) और शोध पद्धति कार्यक्रम द्वारा अधिसूचित ''शोध और प्रकाशन आचार'' पाठ्यक्रम शामिल होगा। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. क्रेडिट के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑन-लाइन पाठ्यक्रमों की संस्तुति भी दे सकती है।

ii. सभी पीएच.डी. अध्येताओं को अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अनुशासन के अतिरिक्त अपने चयनित पीएच.डी. विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षा शास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित होगा। पीएच.डी. अध्येताओं को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में मूल्यांकन, शिक्षा/शोध सहायता के 4 से 6 घंटे प्रति सप्ताह अनुदेशित किया जाएगा।

iii. एक पीएच.डी. अध्येता अपने पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी थीसिस जमा करने योग्य होने के लिए न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी के 10 प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

8.2 डिग्री दिया जानाः मूल्यांकन और आंकलन विधि, डिग्री दिए जाने के लिए न्यूनतम मानक/क्रेडिट इत्यादि

i. उपर्युक्त 8.1 विनियम के खण्ड (3) में निहित अंक/ग्रेड प्राप्त करने तथा कोर्स वर्क के संतोषजनक समापन पर पीएच.डी. अध्येता को शोधकार्य कर शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

ii. शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व पीएच.डी. अध्येता संबंधित उच्चतर शैक्षिक संस्था के शोध सलाहकार समिति (आरएसी) के समक्ष पूर्व प्रस्तुति देगा जिसमें संकाय के सभी सदस्य और अन्य शोध अध्येता/विद्यार्थी उपस्थित होंगे।

iii. अनुसंधान की अखण्डता अनुसंधान गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होगा जिसके फलस्वरूप पीएच.डी. डिग्री दी जाएगी।

iv. साहित्य लेखन चोरी का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी (प्लेज़रिजम जांच) तथा साहित्य लेखन चोरी/रिपोर्ट (प्लेज़रिजम रिपोर्ट) का उल्लेख किया जाएगा।

v. पीएच.डी. अध्येता मूल्यांकन के लिए थीसिस प्रस्तुत करेगा जिसके साथ, (क) पीएच.डी. अध्येता एक घोषणा (वचन पत्र) प्रस्तुत करेगा कि कोई साहित्यिक चोरी नहीं हुई है और, (ख) शोध पर्यवेक्षक से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें थीसिस की मौलिकता का सत्यापन होगा कि किसी अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थान में, किसी अन्य डिग्री/डिप्लोमा के अवार्ड के लिए कोई संबंधित/समान थीसिस जमा नहीं की गई है।

vi. पीएच.डी. अध्येता द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो और संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में नियोजन में नहीं हो। ऐसे परीक्षक शिक्षाविद् होने चाहिए जिनका अपने क्षेत्र विशेष में विद्वत प्रकाशन हो। जहाँ कहीं भी संभव हो, एक बाह्य परीक्षक का चयन भारत के बाहर से किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षा बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक शामिल होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में यह ऑनलाइन संचालित किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षण शोध सलाहकार समिति/संकाय के सदस्य/शोध अध्येताओं और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

vii. अपने शोध की प्रतिरक्षा के लिए पीएच.डी. अध्येता का मौखिक परीक्षण तभी किया जाएगा जब दोनों बाह्य परीक्षकों द्वारा सुझाए गए शुद्धि को समायोजित करने के बाद स्वीकृति की सिफारिश करते हैं, अगर कोई एक बाह्य परीक्षक इसे अस्वीकार करता है तो संस्थान इसे परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से वैकल्पिक बाह्य परीक्षक को थीसिस प्रेषित करेगा और मौखिक परीक्षा तभी होगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस स्वीकृत करने की सिफारिश करते हैं। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस स्वीकार करने की सिफारिश नहीं करते हैं तो थीसिस अस्वीकृत हो जाएगी और पीएच.डी. अध्येता को पीएच.डी. की उपाधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

viii. नीपा, थीसिस जमा करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मौखिक परीक्षा परिणाम की घोषणा सहित पीएच.डी. थीसिस के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

9. पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन

पीएच.डी. कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के ''डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) 2025'' के विनियमों द्वारा शासित होगा। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप हैं। विवेचना और किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्यतन दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

10. कार्यक्रम का विवरण

1.	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	10 मार्च, 2025
2.	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल, 2025
3.	लिखित परीक्षा	31 मई, 2025
4.	लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा	03 जून, 2025
5.	साक्षात्कार	05-06 जून, 2025
6.	अंतिम परिणाम की घोषणा	13 जून, 2025
7.	प्रवेश की तिथि	01-02 जुलाई, 2025
8.	पीएच.डी. सत्र/पाठ्यक्रम का आरंभ	14 जुलाई, 2025

किसी प्रकार की परिवर्तन होने की दशा में इसकी सूचना नीपा वेबसाइट (www.niepa.ac.in) के माध्यम से दी जाएगी।

शोध कार्यक्रम समिति

1.	प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र	अध्यक्ष
2.	प्रो. रस्मिता दास स्वाँइ	सदस्य
3.	डॉ. संगीता अंगोम	सदस्य
4.	डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा	सदस्य
5.	डॉ. अमित गौतम	सदस्य
6.	डॉ. कश्यपी अवस्थी	सदस्य

नोटः हिंदी पाठ में अस्पष्टता/भेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अंतिम एवं मान्य होगा।

कुलपति

प्रोफेसर शशिकला जी. वंजारी
पीएच.डी. (अध्यापक शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा
ई-मेलः vc@niepa.ac.in

संकाय और अकादमिक स्टाफ

शैक्षिक योजना विभाग

प्रो. पी. गीता रानी, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
पीएच.डी. (मौद्रिक अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अर्थशास्त्र एवं शिक्षा का वित्तपोषण
ई-मेलः geetharanip@niepa.ac.in
फोनः 26544854

प्रो. के. बिस्वाल, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
ई-मेलः kkbiswal@niepa.ac.in
फोनः 26544839

डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा, *सह-प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक मनोविज्ञान, मात्रात्मक तकनीक, शिक्षा में योजना
ई-मेलः sgmishra@niepa.ac.in
फोनः 26544530

डॉ. एन. के. मोहंती, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना
ई-मेलः nkmohanty@niepa.ac.in
फोनः 26544850

डॉ. सुमन नेगी, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (जनसंख्या अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक गतिशीलता, क्षेत्रीय विकास एवं स्कूली शिक्षा
ई-मेलः suman@niepa.ac.in
फोनः 26544808

शैक्षिक प्रशासन विभाग

प्रो. विनीता सिरोही, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
पीएच.डी. (मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार, नेतृत्व, अध्यापक शिक्षा, कौशल विकास, मार्गदर्शन एवं परामर्श
ई-मेलः vineetasirohi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544862

प्रो. कुमार सुरेश, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (संघीय अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः संघवाद और शिक्षा का बहु-स्तरीय शासन, शैक्षिक नीति और विविधता और समानता प्रबंधन
ई-मेलः kumarsuresh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544855

डॉ. अन्शू श्रीवास्तव, *सह-प्रोफेसर*
पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः विकास की राजनीति, उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में नीतियों व प्रशासन पर उदारीकरण का प्रभाव
ई-मेलः asrivastava@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544863

डॉ. वी. सुचरिता, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (मानव विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल संस्कृति और शिक्षा
ई-मेलः sucharita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544815

शैक्षिक वित्त विभाग

प्रो. मोना खरे, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आर्थिक विकास में क्षेत्रीय योजना
ई-मेलः monakhare@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544865

डॉ. गरिमा मलिक, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा का शासन और प्रबंधन
ई-मेलः garimamalik@niepa.ac.in
फोनः 26544540

डॉ. वेटुकुरी पी.एस. राजू, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
(ग्रहणाधिकार पर)

शैक्षिक नीति विभाग

प्रो. अविनाश के. सिंह, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और कार्यक्रम मूल्यांकन, विकेंद्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन, जनजातीय शिक्षा
ई-मेलः aksingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544856

प्रो. वीरा गुप्ता, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा का व्यवसायीकरण)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा
(ग्रहणाधिकार पर)

प्रो. मनीषा प्रियम, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः नीति विश्लेषण और सुधार; उच्च शिक्षा; विकेंद्रीकरण; शहरी नीति; सामाजिक संरक्षण
ई-मेलः priyam.manisha@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544866

डॉ. परिपल्ली शंकर, *सह-प्रोफेसर*
पीएच.डी. (संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षणशास्त्र तथा मूल्यांकन
ई-मेलः shankar@niepa.ac.in
फोनः 26544887

डॉ. कश्यपी अवस्थी, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूल नेतृत्व विकास
ई-मेलः kawasthi@niepa.ac.in
फोनः 26544849

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
पीएच.डी. (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः स्कूली शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः madhumita@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544888

प्रो. प्रणति पंडा, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा, नीति विश्लेषण और संस्थागत मूल्यांकन
ई-मेलः pranatipanda@niepa.ac.in
फोनः 26544838

प्रो. रस्मिता दास स्वॉई, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा का मनोविज्ञान)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक मापन और मूल्यां. कन, नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार, सामाजिक रूप से वंचितों की शिक्षा का प्रबंधन और प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
ई-मेलः rasmita@niepa.ac.in
फोनः 26544845

डॉ. अमित गौतम, *सह-प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः आईसीटी में शिक्षण और अधिगम, स्कूली शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा शास्त्र
ई-मेलः amitgautam@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544889

श्री ए.एन. रेड्डी, *सहायक प्रोफेसर*
विशेषज्ञता का क्षेत्रः शिक्षा का वित्तपोषण
ई-मेलः anreaddy@niepa.ac.in
फोनः 26544840

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

प्रो. आरती श्रीवास्तव, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
परीक्षा नियंत्रक
पीएच.डी. (शिक्षा का अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः वंचितों की शिक्षा और अध्यापक शिक्षा
ई-मेलः aarti@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544864

प्रो. सुधांशु भूषण, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (अर्थशास्त्र)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा नीति विश्लेषण और योजनाएं
ई-मेलः sudhanshu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544844

प्रो. नीरू स्नेही, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः neerusnehi@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544868

डॉ. संगीता अंगोम, *सह-प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा
ई-मेलः sangeeta@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544851

डॉ. शिवा कुमार कांडेकर, *सहायक प्रोफेसर*
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा, उच्च तथा स्कूली शिक्षा में नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा परामर्श, सतत विकास लक्ष्य-4 तथा 6, विज्ञान शिक्षा, सतत व्यावसायिक विकास
ई-मेलः shivakumar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544885

शिक्षा में प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास विभाग

प्रो. नीरू स्नेही, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
(प्रभारी)
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन
ई-मेलः neerusnehi@niepa.ac.in
फोनः 26544868

डॉ. मोना सेदवाल, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा का इतिहास)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः सभी के लिए शिक्षा (ईएफए), वंचित समूहों की शिक्षा, अध्यापक शिक्षा और उच्च शिक्षा
ई-मेलः monasedwal@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544871

डॉ. धर्मरक्षित गौतम, *सहायक प्रोफेसर*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः समता, समावेशन, उच्च शिक्षा वैश्विकरण
ई-मेलः dgautam@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544885

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

प्रो. शशिकला जी. वंजारी, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
कुलपति
नीपा

डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा, *सह-प्रोफेसर*
प्रभारी
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
नीपा

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

प्रो. प्रदीप कुमार मिश्र, *प्रोफेसर एवं निदेशक*
पीएच.डी. (शिक्षा)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः अध्यापक शिक्षा, अधिगम व शिक्षण के लिए तकनीक, व्यावसायिक शिक्षा
ई-मेलः pkmisra@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544802

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एकक

प्रो. शशिकला जी. वंजारी, *प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*
कुलपति
नीपा

प्रो. कुमार सुरेश, *प्रोफेसर*
पीएच.डी. (संघीय अध्ययन)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः संघवाद और शिक्षा का बहु-स्तरीय शासन, शैक्षिक नीति और विविधता और समानता प्रबंधन
ई-मेलः kumarsuresh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544855

परियोजना प्रबंधन एकक

प्रो. के. श्रीनिवास, *विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र एवं पीएमयू*
पीएच.डी. (कम्प्यूटर साइंस)
ई-मेलः ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544883

राष्ट्रीय अध्येता

प्रो. संतोष पंडा, *राष्ट्रीय अध्येता*
पीएच.डी. (शिक्षा), फुलब्राईट पोस्ट डॉक्टोरल
विशेषज्ञता का क्षेत्रः दूरवर्ती/ऑनलाईन/मिश्रित शिक्षा, उच्च शिक्षा (शिक्षाशास्त्र, गुणवत्ता, मान्यता), अध्यापक शिक्षा
ई-मेलः spanda@niepa.ac.in
दूरभाषः 26565810

डॉ. निधि सदाना सभरवाल, *राष्ट्रीय अध्येता*
पीएच.डी. (भूगोल)
विशेषज्ञता का क्षेत्रः उच्च शिक्षा में पहुंच और समानता, वंचित समूहों की शिक्षा
ई-मेलः nidhis@niepa.ac.in
दूरभाषः 26565600

प्रशासनिक कर्मी और सहायक सेवाएं

कुलसचिव

श्री सूर्य नारायण मिश्र
ई-मेलः registrar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544818

सामान्य प्रशासन एवं छात्र अनुभाग

श्री अंकित वर्मा, *प्रशासनिक अधिकारी*
ई-मेलः ao@niepa.ac.in
फोनः 26544833

सामान्य प्रशासन

श्री सतीश कुमार, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः admingen@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544874

सुश्री पूनम कुमारी, *सहायक*
ई-मेलः admingen@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544981

छात्र अनुभाग

सुश्री सोनम आनंद सागर, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः inchargesc@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544823

सुश्री पूर्णिमा वर्मा, *सहायक*
ई-मेलः studentcell@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544823

स्थापना अनुभाग

श्री भारत भूषण जैन, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः bharat@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544831, 832

श्री सुनील कुमार, *सहायक*
ई-मेलः sunilkumar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544593

वित्त और लेखा

डॉ. निशांत सिन्हा, *वित्त अधिकारी*
ई-मेलः fo@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544834

श्री कमल कुमार गुप्ता, *अनुभाग अधिकारी*
ई-मेलः kamalkr@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544824

श्री चन्द्र प्रकाश, *आंतरिक लेखा परीक्षक*
ई-मेलः chandraprakash@niepa.ac.in
फोनः 26544835

कंप्यूटर केंद्र

प्रो. के. श्रीनिवास, *प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष* (आईसीटी एवं पीएमयू)
ई-मेलः ksrinivas@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544883

श्री चंद्रा कुमार एम.जे., *सिस्टम एनालिस्ट*
ई-मेलः chandrakumar@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544879

श्री अवधेश कुमार साहू, *कंप्यूटर प्रोग्रामर*
ई-मेलः akashu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544552

प्रकाशन एकक

श्री अमित सिंघल, *उप-प्रकाशन अधिकारी*
ई-मेलः niepapublications@niepa.ac.in
amit@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544875

श्री अमित शर्मा, *प्रकाशन सहायक*
ई-मेलः amitsharma@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544872

श्री हिमांशु, *मशीन संचालक*
ई-मेलः himanshu@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544872

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

सुश्री पूजा सिंह, *पुस्तकालयाध्यक्षा*
ई-मेलः pujasingh@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544813

सुश्री नीति वर्मा, *व्यावसायिक सहायक*
ई-मेलः nitiverma@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544827

सुश्री सुलभा शर्मा, *व्यावसायिक सहायक*
ई-मेलः sulbhasharma@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544827

हिंदी कक्ष

डॉ. रवि प्रकाश सिंह, *हिंदी संपादक*
ई-मेलः hindicell@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544876 (हिंदी कक्ष)

श्री मनोज गौड़, *कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी*
ई-मेलः manoj@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544878

छात्रावास

सुश्री पूजा सिंह, *हॉस्टल वार्डन*
ई-मेलः hostel@niepa.ac.in
दूरभाषः 26544900/971

अनुलग्नक-1

अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र*

1. पहुँच की गुणवत्ता और शिक्षा में समानता
   - शिक्षा की वृद्धि और विकास
   - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधिगम का स्तर, शिक्षक, बुनियादी ढांचा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
   - शिक्षा में असमानता
     - लैंगिक, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह
     - समावेशी शिक्षा
2. शिक्षा नीति विश्लेषण और कार्यान्वयन
   - अधिनियमों, नीतियों, और शिक्षा में योजनाओं की आलोचनात्मक विवेचना
3. शैक्षिक विकासः अंतर-क्षेत्रीय संबंध
   - शिक्षा और आर्थिक विकास, गरीबी, असमानता और विकास
   - शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण
   - शिक्षा और श्रम बाजार/रोजगार/प्रवास
   - शिक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार
4. शैक्षिक योजना
   - शिक्षा की मांग
   - जनशक्ति नियोजन
     - शिक्षकों और अन्य मानव संसाधनों की योजना और प्रबंधन
     - शिक्षकों की आपूर्ति और मांग
   - शिक्षा के लिए प्रतिफल दर
   - शिक्षा में विकेंद्रीकृत योजना, अभिशासन और सामुदायिक भागीदारी
5. शिक्षा में सार्वजनिक, निजी और बाह्य वित्तपोषण
   - शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी
   - शिक्षा के वित्तपोषण के वैकल्पिक तरीके और पहुंच, समानता और मात्रा पर उनके प्रभाव
6. शिक्षा, लैंगिक और विकास
7. तुलनात्मक शिक्षा
8. वैश्वीकरण, शिक्षा और विकास का अंतर्राष्ट्रीयकरण
9 लोक प्रशासन और शिक्षा
   - केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय
   - स्कूल नेतृत्व और संगठनात्मक विकास
10. अभिशासन, स्वायत्तता, जवाबदेही
    - व्यवस्था के स्तर पर शासन, संस्थागत शासन
    - संस्थागत स्वायत्तता
    - प्रत्यायन और मूल्यांकन
    - सार्वजनिक और निजी संस्थानों का प्रबंधन
11. पेशेवर नैतिकता और मूल्य
12. शिक्षा, साक्षरता और आजीवन अधिगम
13. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा
14. कौशल विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी)
15. तकनीक और शिक्षा

---

* अनुसंधान के लिए प्रस्ताव, जो नीपा के लिए प्रासंगिक नहीं है। उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान